



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032020-218689
CG-DL-E-16032020-218689

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 954]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 954]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1061(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 214(अ), दिनांक 10 जनवरी 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 210 के कि.मी. 94/000 से कि.मी.174/000 (कराइकुडी-रामनाथपुरम अनुभाग) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "दिन थांथी" को "दि हिन्दू" और 03 फरवरी 2020 दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 210 के कि.मी. 94/000 से कि.मी.174/000 (कराइकुडी-रामनाथपुरम अनुभाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: रामनाथपुरम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: राजा सिंगा मंगलम				
	गांव का नाम: सोलन्दुर्				
1	190/1	सरकारी	पोरंबोके	0.0832	गवर्नमेंट लैंड (190/१)
2	190/1C2	निजी	ड्राई	0.0103	शक मजबुर रहमान स / ओ सईद अब्दुलहीर (190/१क२)
3	190/2A1B	निजी	ड्राई	0.0038	सुल्दन जलालुदीन स / ओ बुरांश (190/२अ१ब)
4	190/2A2	निजी	ड्राई	0.0089	जमाल मोहमद स / ओ सईद मोहमद (190/२अ२ब)
5	190/2A2A	निजी	ड्राई	0.0007	सुल्दन जलालुदीन स / ओ बुरांश (190/२अ२अ)
6	190/2B2	निजी	ड्राई	0.0035	अ बुरांश स / ओ अलियार रबुठार (190/२ब२)
7	191/1C1	निजी	ड्राई	0.0039	अब्दुल रहीम स / ओ सईद अब्दुलहीर (191/१क१)
			कुल	0.1143	

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/58/05/2007/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2020

S.O. 1061(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 214(E), dated the 10th January 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / two laning with paved shoulders, etc.), maintenance, management and operation of National Highways No.210 on the stretch of land from Km. 94/000 to Km. 174/000 (Karaikudi- Ramanathapuram Section) in the district of RAMANATHAPURAM in the state of TAMIL NADU;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Thanthi” and “The Hindu” both dated 3rd February 2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highways No. 210 in the stretch of land from Km. 94/000 to Km.174/000 (Karaikudi - Ramanathapuram Section) in the district of RAMANATHAPURAM in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU			District: RAMANATHAPURAM		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Raja Singa Mangalam				
	Viilage: Solandur				
1	190/1	Government	Poramboke	0.0832	Government Land 190/1
2	190/1C2	Private	Dry	0.0103	Shack Mujubur Rahman S / o Syed Abthahir 190/1C2
3	190/2A1B	Private	Dry	0.0038	Suldan Jalaludeen S / o Iburamsha 190/2A1B
4	190/2A2	Private	Dry	0.0089	Jamal Mohamed S / o Syed Mohamed 190/2A2B
5	190/2A2A	Private	Dry	0.0007	Suldan Jalaludeen S / o Iburamsha 190/2A2A
6	190/2B2	Private	Dry	0.0035	A Iburamsha S / o Aliyar Rawuthar

					190/2B2
7	191/1C1	Private	Dry	0.0039	Abdul Rahim S / o Syed Abthahir 191/1C1
			TOTAL	0.1143	

[F.No. NHAI/BOT/11012/58/05/2007/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.